भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 65

जिसका उत्तर 4 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम

65. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों से संबद्ध प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों की समीक्षा करने की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आपदाओं के कारण हुई वित्तीय हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऋण की अदायगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए मास्टर निदेश प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय, 2018 के अनुसार राज्य/केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा की घोषणा किए जाने पर सभी अल्पावधि उत्पादन ऋण (फसल ऋण), उन ऋणों को छोड़कर जो प्राकृतिक आपदा की घोषणा के समय अतिदेय है, पुनर्संरचना के लिए पात्र हैं। उधारकर्ता की भुगतान क्षमता और प्राकृतिक आपदा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कृषि सावधि ऋण की किस्तों का भी पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। साथ ही, प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति सभी अन्य ऋणों (उदाहरणार्थ संबद्ध कार्यकलापों के लिए दिए गए ऋण, ग्रामीण कारीगरों, व्यापारियों, सूक्ष्म/लघु औद्योगिक इकाइयों या चरम परिस्थितियों में मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण) के सामान्य पुनर्निधारण के संबंध में निर्णय लेती है। इसके अलावा, बैंकों द्वारा प्रभावित उधारकर्ताओं को नए ऋण भी मंजूर किए जा सकते हैं।

आपदा प्रबंधन प्रभाग (डीएमडी), गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सूचित किया है कि आपदा प्रबंधन का प्रथम दायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होने की स्थिति में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ), जो पहले से उनके द्वारा व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है, से राहत उपाय करती है। गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। डीएमडी ने यह भी सूचित किया है कि यद्यपि गृह मंत्रालय आपदा के कारण हुई वित्तीय हानि के संबंध में केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखता है, तथापि राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत 5 वर्ष के दौरान एनडीआरएफ से अतिरिक्त राहत के लिए गृह मंत्रालय को प्राप्त मांगों और केंद्रीय सरकार द्वारा एनडीआरएफ से अनुमोदित और जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

"प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम" के संबंध में दिनांक 4.12.2023 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 65

विगत पांच वर्ष, अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2022-23, के दौरान एनडीआरएफ से मांगी गई सहायता और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	राज्य सरकार द्वारा मांग की गयी राहत/राशि	उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदित राशि	एनडीआरएफ से जारी की गई निधियां
2018-19				
1.	आंध्र प्रदेश	2,274.96	622.17	622.17
2.	असम	2,509.07	138.38	00.00*
3.	हिमाचल प्रदेश	1,601.03	317.44	312.76
4.	कर्नाटक	575.15	546.21	525.22
5.	केरल	5,596.77	3,048.39	2,904.85
6.	मणिपुर	165.94	42.46	00.00*
7.	नागालैंड	417.93	131.16	130.73
8.	ओडिशा	2,751.72	1,023.59	341.72
9.	तमिलनाडु	2,715.29	1,146.12	900.31
10.	त्रिपुरा	805.92	268.63	171.74
11.	उत्तर प्रदेश	570.45	191.73	00.00*
2019-20				
1.	असम	3,237.76	616.63	00.00*
2.	बिहार	4,183.32	953.17	953.17
3.	हिमाचल प्रदेश	1,515.35	349.42	348.46
4.	कर्नाटक	3,894.57	1,869.85	1,652.54
5.	केरल	2,072.62	460.77	00.00*
6.	मध्य प्रदेश	6,619.00	1,749.73	1,712.14
7.	मेघालय	131.61	18.87	16.52
8.	महाराष्ट्र	9,318.37	2,715.11	2,715.11
9.	नागालैंड	311.88	177.37	176.94
10.	राजस्थान	2,645.86	889.21	622.97
11.	त्रिपुरा	444.77	63.32	12.93
12.	उत्तर प्रदेश	808.41	367.17	00.00*
13.	ओडिशा	5,446.63	3,517.86	2,505.23
14.	पश्चिम बंगाल	7,477.00	1,090.68	958.33
2020-21				
1.	आंध्र प्रदेश	2,260.45	704.36	657.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	792.71	75.86	59.34
3.	असम	2,640.87	437.15	44.37
4.	बिहार	3,635.61	1,255.27	1,255.27

क्र.सं.	राज्य	राज्य सरकार द्वारा मांग की गयी राहत/राशि	उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदित राशि	एनडीआरएफ से जारी की गई निधियां
5.	हिमाचल प्रदेश	804.40	121.17	2.90
6.	कर्नाटक	2,254.23	1,318.30	1,318.30
7.	मध्य प्रदेश	1,779.47	611.61	611.61
8.	महाराष्ट्र	4,438.98	1,121.12	1,121.12
9.	ओडिशा	917.56	449.17	00.00*
10.	सिक्किम	366.68	87.84	73.86
11.	तमिलनाडु	1,972.63	500.42	500.42
12.	तेलंगाना	698.87	245.96	00.00*
13.	उत्तर प्रदेश	802.24	386.06	00.00*
14.	पश्चिम बंगाल	35,018.39	2,707.77	2,250.28
2021-22				
1.	आंध्र प्रदेश	1,081.70	351.43	351.43
2.	बिहार	4,913.54	1,038.96	1,038.96
3.	हिमाचल प्रदेश	692.23	112.19	0.00*
4.	कर्नाटक	1,281.89	492.39	492.39
5.	महाराष्ट्र	1,031.60	355.39	355.39
6.	राजस्थान	757.00	292.51	13.46
7.	सिक्किम	126.18	59.35	55.23
8.	तमिलनाडु	1,510.83	352.85	352.85
9.	पश्चिम बंगाल	2,630.52	475.04	50.13#
2022-23				
1.	असम	1,309.50	520.47	160.94
2.	आंध्र प्रदेश	219.22	राज्य सरकारों को वर्ष 2022 में आई बाढ़ के दौरान हुए नुकसान से राहत के लिए अपने एसडीआरएफ से व्यय करने की सलाह दी गई थी, जिसमें पर्याप्त निधि उपलब्ध थी, क्योंकि राहत संबंधी व्यय का प्रथम प्रभार सदैव एसडीआरएफ पर होता है।	
3.	गुजरात	152.72		
4.	महाराष्ट्र	3,902.62		
5.	हिमाचल प्रदेश	2,516.82	239.31	214.26
6.	कर्नाटक	1,944.47	941.04	939.83
7.	सिक्किम	267.79	47.43	46.89

* निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एनडीआरएफ से निधियां जारी की जाती हैं जो तत्कालीन वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को संबंधित राज्यों के एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन के अध्यधीन है। अतएव, कुछ मामलों में, जहां एसडीआरएफ में पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं, एनडीआरएफ से निवल व्यय एचएलसी द्वारा अनुमोदित राशि की तुलना में शून्य था।

एनडीआरएफ से खाता आधार पर 300 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और एसडीआरएफ में उपलब्ध 50% शेष राशि के समायोजन के बाद यह राशि जारी की जाती है।

स्रोत: आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय